



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1136**

मद/FOR ITEM: एएसटीएम ए-269, टीपी-321 के साइज़ ओडी 10.0Xडब्ल्यूटी 1.0 एमएम  
सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब

**Seamless Stainless Steel Tube of Size  
OD 10.0 X WT 1.0 mm of ASTM A-269, TP-321**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स रत्नामणि मेटल्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड, "रत्नामणि हाउस" 17 राजमुगट सोसाईटी, नारानपुरा चार रास्ता, नारानपुरा, अहमदाबाद - 380 013, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित "रशियन ग्रेड केएच18एन10टी के बदले में एएसटीएम ए-269, टीपी-321 के साइज़ ओडी 10.0Xडब्ल्यूटी 1.0 एमएम सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब" जो मिग वायुयान में काम आता है उत्पादन के अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(नासिक) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/आइएनडी/एमएटी/एसएल/017 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Seamless Stainless Steel Tube of Size OD 10.0 X WT 1.0 mm of ASTM A-269, TP-321 against Russian Grade 2KH18N10T designed, developed and manufactured by M/s. "M/s Ratnamani Metals & Tubes Ltd, "RATNAMANI HOUSE" 17, Rajmugat Society, Naranpura Char Rasta, Naranpura, Ahmedabad - 380 013, Gujarat", is hereby approved for production, for use in MIG a/c. It has been tested as per Test Schedule No.TS/IND/MAT/SL/017" in coordination with RCMA (Nasik). It has met the requirements of the tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at enclosed at Appendix - "A "

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearances accorded to the product shall stand cancelled after the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2009 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आरसीएमए(नासिक), ओझर टाउनशिप-422 007 से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Nasik), Ojhar Township-422 007, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1136

दिनांक/Date : 5 मई 2005

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

*J.K. Sharma*  
5/5/05  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

*21/5/05*  
*02/5*